न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 59/2018

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थी:–**
सरकार जरिये तहसीलदार रोहट		1. मादाराम पुत्र भेराराम 2. शिवाराम पुत्र भेराराम जातिगण पीटल, निवासीगण रामपुरा तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक : 1-10-18

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रोहट द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थीगण के नाम अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट में अप्रार्थीगण को राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए भूमी का आवंटन) नियम 1979 के तहत के खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 384/285 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै.मु.बेरा के नियम विरूद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने एवं उसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण को निरस्त कर भूमि पुनः गै.मु. नदी दर्ज किए जाने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट जिला पाली खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से के ख.न. 384/285 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै.म.बेरा जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन अप्रार्थीगण मादाराम, शिवाराम पुत्रगण भेराराम पीटल के पक्ष में उप जिला कलक्टर, पाली ने अपने आदेश क्रमांक/पी.ए./278–82 दिनां 20.02.1997 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए भूमी का आवंटन) नियम 1979 के तहत किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी से गै.मु. बेरा कर किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। जिसके नए खसरा नम्बर 384/285 है। उप जिला कलक्टर, पाली द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 473 दिनांक 08.07.1997 को निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट के खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से रकबा 0.05 बीघा आराजी का उप जिला कलक्टर, पाली द्वारा जरिये आदेश क्रमांक/पीए/278–82 दिनांक 20.02.1997 के राज. भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए भूमी का आवंटन) नियम 1979 के तहत 24/– रू. प्रति वर्ष लीज पर 10 वर्ष के लिए किया गया था। जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 473 दिनांक 08.07.1997 स्वीकृत किया गया एवं आवंटी को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया, जो आदिनांक तक गैर खातेदार दर्ज है। वक्त आवंटन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थीगण के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से उप जिला कलक्टर, पाली के आदेश क्रमांक पीए/278–82 दिनांक 08.07.1997 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 473 दिनांक 08.07.1997 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रोहट द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण मादाराम, शिवाराम पुत्र भेराराम जातिगण पीटल, निवासी रामपुरा तहसील रोहट जिला पाली (राज.) के पक्ष में उप जिला कलक्टर, पाली के द्वारा जरिये आदेश क्रमांक पीए/278–82 दिनांक 20.02.1997 द्वारा जो आवंटन किया गया है। उक्त आदेश एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 473 दिनांक 08.07.1997 को निरस्त फरमाया जावे।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर
पाली (राजस्थान)